

2025/1689

ग्रामीण सेवा दिवस-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 4156

दिनांक 03/12/2025

उपवानी प्रकरण प्रवन कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट. 1956

मुकदमा संख्या - 281 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 10 / भू.अ. / 2025 दिनांक 04/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम श्रीकरभरी पटवारी हत्का कुल्यादापुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भू.गे खाता संख्या 22, 32, 33, में खातेदार प्रवन कुमार सुरजभोज के स्थान पर मदन शर्मा पुत्र सुरजभोज सिंह का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हत्का कुल्यादापुरा उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 03/12/2025

कमांक / रीडर / 2025 / 4157-58

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हत्का कुल्यादापुरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)



10-10-25
2025/689

प्राचीन सेवा विभाग 20
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

आदेश (शिबिर स्थान - कल्याणपुर) दिनांक 03/10/2025

निरीक्षक वृत्त - शीर्ष
जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का - कल्याणपुर जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख
आधार-काई पहचान पत्र, राशन कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व
ग्राम - कीर्ती कल्याण के खाता संख्या - 22, 32, 33, 34 में प्राची का
नाम मदनलाल पुत्र सुरजमान जाति जार के स्थान पर
मदनलाल पुत्र सुरजमान सिंह जाति जार दर्ज कर दुरुस्त
किया जाता है।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला:- सीकर

क्रमांक:-

दिनांक:-

--:दुरुस्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

शिबिर:- दिनांक:-/...../..... को (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,
1956 की धारा:- 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- पटवार हल्का:-
.....तहसील:- श्रीमाधोपुर के खाता संख्या:-
.....में खातेदार पुत्र
..... का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का:-
.....उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

संलग्न:- दुरुस्ति आदेश

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, श्रीमाधोपुर को सूचनार्थ
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-..... को पालनार्थ
3. पटवारी हल्का:-को पालनार्थ

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर